हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जा। इ हुक्म की तामील में जारी हुए

30-6-18 पत्रावली अयबाय मेगा कैम्प शिव पेश हुई।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 उपस्थित।

वकील प्रार्थीगण का कहना है कि प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख. नं. 52/3 । रकबा 10-0 बीघा व ख नं 53 रकबा 15-14 बीघा तथा प्रार्थी सं 2 की खातेदारी भूमि ख नं 52/3 रकबा 51-05 बीघा ग्राम रावत का गांव तहसील शिव में अवस्थित है तथा इसी गांव में विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख नं 52 रकबा 24-0 बीघा भूमि आई हुई थी प्रार्थीगण का अपनी भूमि पर कब्जा पेलान नक्शा परिशिष्ट अ में बांग लाल से दरसाये गये स्थान पर है, किंतु विप्रार्थी सं 1 ने अपनी मनमर्जी से और बिना विधिक आधार के ख नं 52 की तरमीम नक्शा परिशिष्ट ब में दरसाये हरा रंग हरा स्थान पर करवा दी है। यद्यपि विप्रार्थी सं 1 ने राजस्व कर्मियों से मिलकर प्रार्थीगण की भूमि हडपने के लिए कार्रवाई है। अतः प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम आदेश के पेलान प्रस्तुत

पखण्ड अधिकारी
शिव

नक्शा परिशिष्ट 'क' अनुसार दुरुस्त करवाने के अधिकारी हैं।

इसके विपरीत ~~प्रार्थी~~ विपक्षी सं. 1 ने उनके ख.नं. 52 रकबा 24.0 की लटठा नक्शा में विद्यमान तरमीम उनके द्वारा क्रय की गई भूमि के बेचान इकरार में दर्शायी सीमाओं के अनुसार सही रूप से की गई है और उसी तरमीम मुताबिक पर विपक्षी सं. 1 का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने केवल विपक्षी सं. 1 को परेशान करने के लिए यह तरमीम दुरुस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज करने योग्य होने से खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर ध्यान तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 52/31 व 53 और 52/3 की तरमीम गलत होना बताकर उसे दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है और आवेदन के साथ नक्शा परिशिष्ट क व परिशिष्ट ख प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है ~~किन्तु~~ प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
शिव

दाखिल करवा रखा परिशिष्ट संख्या
के तथा वर्तमान तालीय संख्या
परिशिष्ट 'क' प्रस्तुत नहीं किये
है। उन्होंने आवेदन के पैरा सं.
1 में ख.नं. 53 प्रार्थी से गैर
खातेदारी बताया है और पैरा सं.
3 में उक्त कृषक प्रार्थी से 1 का
होना बताया है। इस प्रकार प्रार्थीगण
का आवेदन तथ्य युक्त नहीं है और
अस्पष्ट है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन
स्पष्ट नहीं होने से खारिज किया
जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली नियत सुधार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव